

मानक शर्तें

(एन अनुभाग-3, 60 प्रो शरसन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दि. 31.12.84 द्वारा निर्धारित)

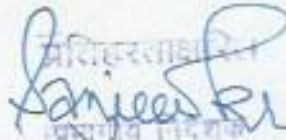
- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति खेती/आवृत्त वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कायापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का समुचित निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसकी अवस्थिति कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरित विभाग, उसकी कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की सति नहीं पहुँचाने और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित न्यायिकारी द्वारा निर्धारित गुजरात व वृक्षान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने जाय से सम्बन्धित न्यायिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुद्देसों आदि का भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियोजन हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आबद्धित एवं वन जानतुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तान्तरण काय सम्पदा प्रभावित न किया जाय। अप्रतिरूप कार्यों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु यकीनता यह होगी कि वन सम्पदा की पूर्णतः पूर्ण एवं वन जानतुओं से स्वच्छन्द विचरण की अवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिवाई विभाग/वन विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/फैक्टों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निरुक्त जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि खराब बिना किसी प्रकार के प्रतिफल व वृक्षान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि Automatic खेती बिना किसी प्रतिफल व वृक्षान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- 11- सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइन्मेंट तय होते समय स्थानीय तहसील पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अधीक्षण अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजधानी अधिकारण के अधिनियम मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मोदी को सम्बन्धित पत्र संख्या 608/री दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और कि अथवा भवन बनाया वन भूमि का भूमि क्षेत्र बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के साथ से परामर्श न हो और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक हो।
- 12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित न्यायिकारी द्वारा उपलब्ध मूल्य राशियों प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर छह वर्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा तत्पर प्रदेश वन विभाग अथवा वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्राधिकार जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

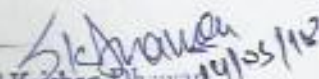
शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhanwan
 (Sr. Manager (Retail Sales))
 वन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
 Oil Corporation Limited (M.D.)
 कम्प्लेक्स मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
 243001 (उ.प्र.) Bareilly-243001 (U.P.)

मिति हस्तान्तरित
 अनिल कुमार
 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 पौली-नोन

14. हरद्वार-उदिरित भूमि में घटने वाले वृक्षों के प्रतिफल में यास्क विभाग द्वारा हरद्वार-उदिरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान राशक एक पेड़ के लान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपालन व्यय जो भी इन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन निर्धार है इन्हीं प्रकार बीच के पेड़ों का पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने से ऐसा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को जंघा करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण कारक सम्मिलित उम वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिसे पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर अर्द्ध निर्माण में या सफाई की सम्भावना होती है और नहर की दीवारों पर पत्तियों को प्रक्षाल करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा यास्क विभाग अपने समय से स्वयं करायेंगा।
17. उपरिनिर्दिष्ट मानक कार्यों के अतिरिक्त यदि नहरा सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी निम्नलिखित प्रकारण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो यह यास्क विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वार्षिकिक हस्तान्तरण सभी किया जाये जब तक सार्वजनिक वन पटलन कर लिया जाये अथवा निश्चित रूप से हस्तान्तरण प्राप्त हो जाये।

दिनांक / / 2017
स्थान


प्रमाणित निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
पीलीभीत


श्रील कृष्ण धरवर्धन / Shri Krishna Dharwad
वरिष्ठ प्रशासक (वन संरक्षण) / Sr. Manager (Forest Conservation)
ई.ए.ए. विभाग, पी.ए.ए. (एम.ए.)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
35-ए, बंगला हाउस, पी.ए.ए. बंगला हाउस, बरेली
बरेली-243001 (उ.प्र.) / Bareilly-243001 (U.P.)